भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 3865

दिनांक 02.04.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

शौचालयों के निर्माण के लिए नई प्रौद्योगिकी

3865. श्री नीरज शेखरः

श्री रवि प्रकाश वर्माः

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में शौचालयों के लिए इस्तेमाल की जा रही प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग के लिए निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में निर्मित शौचालयों में नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किए जाने के कारण भूजल संदूषित हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार इस संबंध में कौन से कदम उठाने का विचार रखती है?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)

(क) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ट्विन-लीच पिट शौचालयों को बढ़ावा देता है। इस तरह का शौचालय एक विशिष्ट रूप से निर्मित जल-युक्त बाउल है जिसमें मानव मल की फ्लॅशिंग हेतु 1-2 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इस प्रौद्योगिकी के अंतर्गत, मानव मल 1-2 वर्ष में खाद में बदल जाता है और इसमें सीवेज/ड्रेनेज प्रणाली की आवश्यकता नहीं होती। यह प्रौद्योगिकी उच्च भू-जल स्तर क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।